रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2018/माघ 3, 1939
No. 30] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2018/MAGHA 3, 1939

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नईदिल्ली, 22 जनवरी, 2018

सं. भा.आ.प.–12 (1)/2017–मेडि.विविध/169950.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "**चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998**" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः–

1. (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन) विनियमावली, 2018" कहा जाए।

(ii) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगेः–

(i) "चिकित्सा संस्थानो ंमें अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में "अकादमिक शैक्षिक योग्यता और अध्यापन/अनुसंधान अनुभव की शर्तें" शीर्षक के अंतर्गत "सारणी–1" में "अध्यापन तथा अनुसंधान अनुभव" के कॉलम में "प्रोफेसर" के पद के सामने सभी विशेषज्ञताओं के लिए निम्नलिखित जोड़ा जाएगाः–

प्रोफेसर के समकक्ष मानने के लिए परामर्शदाता या विशेषज्ञ (विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री प्राप्त करने के पश्चात) रूप में न्यूनतम 300 बिस्तरों वाले किसी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व और प्रबन्धित गैर शिक्षण जिला अस्पताल में संबंधित विशेषज्ञता में कार्यरत, अपेक्षित अनुभव, प्रथम लेखक या तद्नुरूपी लेखक के रूप मे ंसूचीबद्ध जर्नल मे ंचार अनुसंधान प्रकाशनों के साथ 18 वर्ष से अधिक होगा। किसी मेडिकल कॉलेज में कार्य भार ग्रहण करने के पश्चात् उस परामर्शदाता या विशेषज्ञ को "पद नामित प्रोफेसर" कहा जाएगा और पदनामित प्रोफेसर की हैसियत से तीन वर्ष का अनुभव पूरा करने पर उस व्यक्ति को "प्रोफेसर" के रूप मे ंनामित किया जाएगा।

(ii) "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998" में "अकादमिक शैक्षिक योग्यता और अध्यापन/अनुसंधान अनुभव की शर्तें" शीर्षक के अंतर्गत "सारणी–1" में "अध्यापन तथा अनुसंधान अनुभव" के कॉलम में "एसोसिएट प्रोफेसर" के पद के सामने सभी विशेषज्ञताओं के लिए निम्नलिखित जोड़ा जाएगाः–

एसोसिएट प्रोफेसर के समकक्ष मानने के लिए परामर्शदाता या विशेषज्ञ (विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री प्राप्त करने के पश्चात्) के रूप में न्यूनतम 300 बिस्तरों वाले किसी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व और प्रबन्धित गैर शिक्षण जिला अस्पताल में संबंधित विशेषज्ञता मे कार्यरत, अपेक्षित अनुभव, प्रथम लेखक या तदनुरूपी लेखक के रूप में सूचीबद्ध जर्नल में दो अनुसंधान प्रकाशनों के साथ 10 वर्ष से अधिक होगा। किसी मेडिकल कॉलेज में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उस परामर्शदाता या विशेषज्ञ को "एसोसिएट प्रोफेसर" के रूप में नामित किया जाएगा।

डॉ. रीना नय्यर, सचिव प्रभारी

[विज्ञापन–III/4/असा./404/17]

पाद टिप्पणीः प्रधान नियमावली नामतः "**चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998**" दिनांक 05 दिसंबर, 1998 को भारत के गजट के भाग–III, खण्ड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 16.03.2005, 21.07.2009, 28.10.2009, 15.12.2009, 03.11.2010, 04.11.2010, 08.07.2011, 11.06.2012, 06.08.2012, 20.04.2015, 11.03.2017 और 08.06.2017 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

टिप्पणीः

1. उपर्युक्त अधिसूचना तभी लागू होगी, यदि भविष्य में 300 बिस्तरों वाला कोई राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व और प्रबन्धित गैर शिक्षण जिला अस्पताल, स्नातक–पूर्व चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मेडिकल कॉलेज/संस्थान में रूपांतरित किया जाता है, स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री वाले अर्थात एम.डी./एम.एस. अभ्यर्थी को वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में भर्ती किया जाना चाहिए और परामर्शदाता या विशेषज्ञ के रूप में नहीं और इस के पश्चात उस मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर/एसोसिएटप्रोफेसर/प्रोफेसर की नियुक्ति, मानक मापदंडों के अनुसार होगी।

2. यह, उनके मेडिकल कॉलेज की स्थापना के दौरान राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व और प्रबन्धित गैर शिक्षण जिला अस्पताल के लिए केवल एकबारगी उपबंध होगा। तत्पश्चात किसी संकाय सदस्य की नियुक्ति "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998 (अब तक संशोधित)" के अनुसार होगी।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2018

No. MCI-12(1)/2017-Med.Misc./169950.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", namely:-

1 (i) These Regulations may be called the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2018."

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", the following **additions/modifications/deletions/ substitutions**, shall be, as indicated therein:-

(i) In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" in table I under the heading "REQUIREMENTS OF ACADEMIC QUALIFICATION AND TEACHING /RESEARCH EXPERIENCE" in the column of 'Teaching and Research Experience' against the "Professor", for all the specialties, the following shall be added:

"The requisite experience for equating a Consultant or Specialist (after possessing postgraduate medical degree in the subject) working in the concerned specialty in a minimum 300 bedded non teaching District Hospitals owned and managed by State Govt/Central Govt. as Professor shall be more than 18 years with four Research

publication in indexed journal as Ist Author or corresponding author. Such Consultant or Specialist after joining a medical college shall be called "Designate Professor" and on completion of three years experience in the capacity of Designate Professor, such person shall be designated as "Professor"."

(ii) In the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" in table I under the heading "REQUIREMENTS OF ACADEMIC QUALIFICATION AND TEACHING /RESEARCH EXPERIENCE" in the column of 'Teaching and Research Experience' against the "Associate Professor", for all the specialties, the following shall be added:

"The requisite experience for equating a Consultant or Specialist (after possessing postgraduate medical degree in the subject) working in the concerned specialty in a minimum 300 bedded non teaching District Hospitals owned and managed by State Govt/Central Govt. as Associate Professor shall be more than 10 years with two Research publication in indexed journal as Ist Author or corresponding author. Such Consultant or Specialist after joining a medical college shall be designated as "Associate Professor"."

DR. REENA NAYYAR, Secy. I/c

[ADVT.-III/4/Exty./404/17]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Minimum qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" were published in Part-III, Section (4) of the Gazette of India on the 5th December, 1998, and amended vide MCI notifications dated 16.3.2005, 21.7.2009, 28.10.2009, 15.12..2009, 3.11.2010, 4.11.2010, 8.7.2011, 11th June, 2012, 6th August, 2012, 20.4.2015, 11.03.2017, 08.06.2017.

Note: 1. The above said notification shall be applicable, if in future, if any 300 bedded non teaching District Hospitals owned and managed by State Govt/Central Govt. is converted into a medical college/institute for imparting undergraduate medical education, a candidate with postgraduate medical degree i.e. MD/MS/DNB should be recruited as Sr. Resident and not as Consultant or Specialist and thereafter, the appointment of Assistant Professor/Associate Professor/Professor in such medical college shall be made as per the standard norms.

2. This would be only a one time provision for non teaching District Hospitals owned and managed by State Govt/Central Govt. during the establishment of their medical college, subsequently, the appointment of any faculty would be as per the "Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998 (Amended till date)"

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.01.24 22:50:48 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.